

**Rajasthan High Court, Jodhpur**  
**Direct recruitment in the cadre of District Judge**  
**Competitive Examination**  
Date : 06.05.2012

**राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर**  
**जिला न्यायाधीश केडर में सीधी भर्ती हेतु**  
**प्रतियोगी परीक्षा**  
दिनांक : 06.05.2012

**Paper III – Language**  
**प्रश्न पत्र III – भाषा**

**Time: Two hours**  
**समय: दो घण्टे**

**Maximum Marks: 50**  
**पूर्णांक : 50**

**INSTRUCTIONS**

1. Write the required particulars **only** on the flap provided on the top of each answer book; and at no other place.
2. If the candidate makes any identification mark at any place in the answer book, it would be treated as using unfair means. The candidature of the candidate for the entire examination shall be rejected if he is found doing so.
3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render himself liable to disqualification.
4. Attempt all questions.
5. Attempt answers only in the language, English or Hindi, as required by the question.

**निर्देश**

1. अपेक्षित विवरण केवल उत्तर पुस्तिका के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें; अन्य किसी स्थान पर नहीं।
2. यदि अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के अन्दर किसी भी स्थान पर कोई भी पहचान चिन्ह अंकित किया जाता है तो यह अनुचित साधन का प्रयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा।
4. सभी प्रश्न हल करें।
5. प्रश्न द्वारा अपेक्षित भाषा, अंग्रेजी या हिन्दी, में ही उत्तर दीजिये।

**Part A - भाग अ**  
**Translation - अनुवाद**

**Question No.1 :** Translate the following passage in English. (15 marks)

**प्रश्न सं. 1 :** नीचे दिये गये लेखांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिये । (15 अंक)

"विद्यार्थी का अर्थ है विद्या पाने का इच्छुक। विद्या का अर्थ केवल कुछ पुस्तकें पढ़कर परीक्षाएँ पास कर लेना ही नहीं है, बल्कि अपने बाहरी-भीतरी व्यक्तित्व को उजागर कर के, सभी प्रकार की सार्थक योग्यताएँ पाकर के जीवन को सुखी और सन्तुलित बनाना भी है। यह सन्तुलन केवल पुस्तकें पढ़ते जाने से नहीं, अपने तन-मन तथा सभी इन्द्रियों को, मस्तिष्क को भी अनुशासित रखने का अभ्यास कर के ही पाया जा सकता है। इसी कारण विद्यार्थी और अनुशासन को एक दूसरे का पूरक माना जाता है तथा एक-दूसरे के साथ जोड़कर देखा जाता है।

अनुशासन का अर्थ है शासन के अनुसार। शासन का अर्थ यहां पर सरकार न होकर जीवन और समाज में जीने-रहने के लिए बनाए गये लिखित-अलिखित नियम है। व्यक्ति घर-बाहर जहाँ भी हो, वहाँ के शिष्टाचार का मानवीय गुणों और स्थितिपरक आवश्यकताओं का ध्यान रखना ही वास्तव में अनुशासन कहलाता है। विद्यार्थी को मुख्य रूप से अपने विद्या क्षेत्र एवं घर संसार में ही रहना होता है। विद्या क्षेत्र या विद्यालय वास्तव में वह स्थान है कि जहाँ रहकर एक अच्छा विद्यार्थी अन्य सभी क्षेत्रों के अनुशासन के नियमों को जान-समझ कर उन पर आचरण का अभ्यास कर अपने भावी जीवन के लिए भी सन्तुलन पा सकता है। विद्यालय में तरह-तरह की रुचियों और स्वभाव वाले साथी-सहपाठी हुआ करते हैं। विद्यार्थी जीवन की सभी प्रकार की उचित आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उन सभी के साथ उचित व्यवहार करना ही वास्तव में अनुशासन है। गुरुजनों अर्थात् बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी सीख भी सरलतापूर्वक विद्यालयों में प्राप्त हो जाया करती है।

दूसरा क्षेत्र है घर-परिवार और उसके आस-पास का। जो विद्यार्थी अपने विद्या क्षेत्र में सही और सन्तुलित शिक्षा प्राप्त करता है, अपना व्यवहार एवं आचार भी सन्तुलित रखा करता है, घर-परिवार में आकर उन सब तथा आस पास वालों के प्रति उसका व्यवहार स्वयं ही सन्तुलित हो जाया करता है। यह सन्तुलन ही वास्तव में अनुशासन है। आदमी की पहचान है। उसके जीवन की सफलता-सार्थकता की कूजी है।"

**Question No.2 :** Translate the following passage in Hindi. (15 marks)

**प्रश्न सं.2 :** नीचे दिये गये लेखांश का हिन्दी में अनुवाद कीजिये । (15 अंक)

For a lawyer a knowledge of the fundamental principles of law is undoubtedly necessary, but it is equally necessary for him to have a clear mind, quick grasp and analytic approach. He must have the capacity for grasping all the facts of the case in all their inter-relations and implications quickly and

comprehensively. without unnecessary labour he must be able to apply the fundamental principles and rules of law to the facts of the case before him. As Arthur T. Vanderbilt observed in his article on Forensic Persuasion, he must also have the knowledge of human nature in all its manifestations and an ability to get along with the people. He must have a comprehension of the economic, political and intellectual environments of modern litigation. He must have the ability to reason concerning the facts, the law, the personalities involved in the litigation and the environments of a case in such a way as to solve the pending problem in the most satisfactory way possible.

A lawyer must have the capacity to express himself clearly and intelligently. A good command over language is a great asset for him. A case resented in chaste language with moderation and clarity has a great effect on the judge. Over-statement, either of law or fact, must be avoided. Under no circumstances he should deliberately make a wrong statement. Once a lawyer acquires a reputation for making wrong statements he becomes a suspect in the eye of the judge and he thereby impairs his capacity to persuade the judge.

It is good to know what a lawyer should be and what he should not be. But what is more important is what he does or he fails to do. That is also true of all professions. Circumstances do have their impact on a person's life. But if we leave aside those uncertain factors, everyone is an architect of his own future. The prize is always for the brave. There must be a will to succeed, backed up by determination and followed up by preparation. There are men who have succeeded by sheer chance. But their number is few.

\*\*\*\*\*

**Part B - भाग ब**  
**Precis - सारांश-लेखन**

**Question No.1 :** Write the precis of the following passage in Hindi with a suitable title (10 marks)

**प्रश्न सं.1 :** नीचे दिये गये लेखांश का हिन्दी में सार उपयुक्त शीर्षक सहित लिखिये । (10 अंक)

प्रकृति और मनुष्य का साथ उतना ही पुराना है, जितना यह संसार और इस में मनुष्य जैसे प्राणियों तथा अन्य उपादानों का अस्तित्व पुराना है। ध्यान देने वाली मुख्य बात तो यह है कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि जैसे

जिन पाँच तत्वों से मनुष्य शरीर का निर्माण हुआ है, अपने मूल रूप में वे सब प्रकृति के ही सबल एवं प्रत्यक्ष दिखाई देने या अनुभव होने वाले अंग हैं। यह भी सत्य है कि मनुष्य सृष्टि के आरम्भ काल में मनुष्य प्रकृति की गोद और खुले आँगन में अर्थात् वनों-पर्वतों आदि में ही रहा करता था। आज का मनुष्य तो कई प्रकार के अप्राकृतिक कृत्रिम पदार्थ खाकर भी अपना पेट भरने लगा है; पर आरम्भ में वह पूरी तरह से प्रकृति और उस के पदार्थों पर ही आश्रित रहा करता था। तरह-तरह के अनाज, दाल-चावल, फल-सब्जियाँ, पवन-पानी आदि जो कुछ भी हम खाते-पीते हैं, वह सब भी वस्तुतः प्रकृति की ही देन है। वन, पर्वत आदि तो प्रकृति का दृश्य रूप हैं ही, रसा अर्थात् सब रसों की जननी पृथ्वी भी प्रकृति का विशालतम दृश्य स्वरूप है। वह माता के समान हमें अपनी गोद में आश्रय देती है, हमारे लिए सभी तरह के आवश्यक पदार्थ उपजाती है, तभी तो पृथ्वी को माता कहा गया है। पृथ्वी को माता कहने का अर्थ मनुष्य द्वारा सब कुछ देने वाली प्रकृति के प्रति आभार-प्रदर्शन ही है। इस सब से प्रकृति और मनुष्य का गहरा सम्बन्ध भी पता चल जाता है।

सारी सृष्टि और मनुष्य जाति का मूल या आदि स्रोत प्रकृति ही है। प्रकृति के उपकारों को याद करके ही ऋग्वेद की ऋचाओं (मंत्रों) के दर्शन करने वाले ऋषियों ने प्रकृति के सूर्य, चाँद, उषा, संध्या, नदियों, पर्वतों, बड़-पीपल आदि अनेक वृक्षों को देवी-देवता का रूप प्रदान कर उनकी स्तुति का गान किया। आज का मनुष्य भी प्रकृति के इन सभी रूपों के प्रति इसी भावना से नतमस्तक रहा करता है। प्राचीन मनुष्य ने प्रकृति के प्रत्येक रूप, प्राणी और पदार्थ के साथ उसके उपकारों से प्रभावित होकर ही अपना नाता जोड़ा। दूध देने वाली गाय को माता का दर्जा दिया। जहरीले और शत्रु माने जाने वाले साँप तक का नाग पंचमी के रूप में पूजा का विधान किया। प्रकृति-पुत्र वृक्ष का एक बीज उगाकर जीवन भर हजारों फल-फूल प्रदान करता रहता है। अनाज आदि का एक दाना उगकर अनेक ही ईश्वर के एक से अनेक होने के दार्शनिक तत्व का आभास करा जाता है। ऐसा प्रकृति के प्रति यदि मनुष्य आरम्भ से ही समर्पित रहा है, जो इसमें आश्चर्य कैसा?

**Question No.2 :** Write the precis of the following passage in English with a suitable title. (10 marks)

**प्रश्न सं.2 :** नीचे दिये गये लेखांश का अंग्रेजी में सार उपयुक्त शीर्षक सहित लिखिये। (10 अंक)

A look at the broad scheme of the Fundamental Rights and the Directive Principles makes it evident that equality contemplated by Article 14 is not a formal equality in the sense that the law is just, that it punishes the rich and the poor equally for stealing bread, and that it is generous, for it permits anyone to sleep either on the pavement or in a five-star hotel. The equality contemplated is a

broader egalitarianism, more real and more vital than the negative quality of mere formal equality. Real equality rules out every element of discrimination and therefore arbitrariness. The very concept of the rule of law is necessarily involved in the rule of equality before the law. However, in the early days after the Constitution came into force, the Supreme Court, in case after case, accepted the view of American jurisprudence and interpreted Article 14 of the Constitution to mean that the state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the laws but the state shall not be prevented from making a reasonable classification on an intelligible differentia having a rational relationship to the object sought to be achieved by the act. There is nothing wrong in the principle of reasonable classification but the error lay in allowing the principle of reasonable classification to overshadow the Fundamental Right to equality before law and the equal protection of the laws and to so confine it. It becomes a case of 'the tail wagging the dog instead of the dog wagging the tail'. If the appropriate rule of interpretation is adopted, the right to equality before law will at once get out of the confines of 'reasonable classification'. After all, what do liberty and equality mean to the ordinary human being?

Adopting the rule of reasonable classification in case after case, the Supreme Court equated and confined equality before law to reasonable classification. The Court, a custodian of constitutional interpretation, hardly ever hinted at the affirmative responsibilities of the state for the elimination of inequality in the light of the Directive Principles of State Policy. In considering questions of equality before law and equal protection of the laws, the Court always concerned itself with problem that skim the surface and insisted on smoothing the surface to give an appearance of legal equality.

\*\*\*\*\*